

[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

**अधिसूचना सं.70 /2017-सीमा शुल्क**

नई दिल्ली, 31st जुलाई, 2017

सा.का.नि.----- (अ), - केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, इसके आगे उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

- (i) क्रम संख्या 164 के प्रतिकूल, प्रविष्टि में कॉलम (3) में, आंकड़ों के लिए, पत्रों और शब्द "27 फरवरी, 2009", शब्दों, आंकड़ों और पत्रों "19 जुलाई, 2012" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) क्रम संख्या 165 के प्रतिकूल, प्रविष्टि में कॉलम (3) में, आंकड़ों के लिए, पत्रों और शब्द "27 फरवरी, 2009", शब्दों, आंकड़ों और पत्रों "19 जुलाई, 2012" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड/3/2016]

(धर्मवीर शर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :- दिनांक 30 जून, 2017 की प्रधान अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 30 जून, 2017 की सा.का.नि. सं. 785 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 10 जुलाई, 2017 की सा.का.नि. सं. 853 (अ) दिनांक 10 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 66/2017-सीमा शुल्क के अंतर्गत इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।